

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-4(1)(ख) के अन्तर्गत  
आबकारी विभाग से सम्बन्धित 16 बिन्दुओं पर लोक प्राधिकारियों से  
अपेक्षित सूचनाओं का विवरण

(15) सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे,  
जिनमें जनसाधारण के लिए उपलब्ध पुस्तकालय या वाचक कक्ष के ब्यौरे  
भी सम्मिलित हों

आबकारी विभाग की वेबसाइट [www.upexcise.in](http://www.upexcise.in) पर सूचनायें उपलब्ध हैं।  
इसके अतिरिक्त यदि कोई नागरिक सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना  
मांगता है और यदि वह विभाग द्वारा धारित है, तो उपलब्ध करा दी जाती है। इसके  
अतिरिक्त नागरिक अपनी जिज्ञासायें क्षेत्रीय अधिकारियों, मुख्यालय के अधिकारियों एवं  
शासन के अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं। विभाग में एक पुस्तकालय भी है।